



उत्तर प्रदेश सरकार

2024-2025 के लिये

अनुपूरक अनुदानों
की
मांगें

(जुलाई, 2024)

(जैसा कि विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयीं)

उत्तर प्रदेश सरकार

2024-2025 के लिये

अनुपूरक अनुदानों

की

मांगें

(जुलाई, 2024)

वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तावनिक टिप्पणी

किसी वित्तीय वर्ष में व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई धनराशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पायी जाने पर उस अतिरिक्त व्यय की प्राक्कलित धनराशि के लिये विधान मण्डल के समक्ष अनुपूरक अनुदान की मांग का प्रस्तुतिकरण संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अभीष्ट है। व्यय की ऐसी नई मदों के सम्बन्ध में भी अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत करनी होती है, जिनके लिए मूल आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं होती। अनुपूरक अनुदान की मांग की उस समय भी आवश्यकता होती है, जब सम्बन्धित व्यय के लिए धन उपलब्ध हो, पर व्यय नई मदों के लिए हो या मूल योजना में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हो कि उसे विधान-मण्डल के सामने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक हो। ऐसी मांग "प्रतीक मांग" कहलाती है जो प्रचलित वित्तीय व्यवस्था का एक स्वीकृत अंग है।

2. वित्तीय वर्ष 2024–2025 की अनुपूरक अनुदान की मांग में, अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, अनुपूरक अनुदान की मांग की धनराशि, जिसकी अब आवश्यकता है तथा उससे सम्बन्धित संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी सम्मिलित हैं। विनियोग लेखों के प्रयोजन के लिए लेखा शीर्षों के अनुसार सविस्तार विवरण भी अनुदानवार दिया गया है। अनुपूरक अनुदान की मांग मुख्यतया इसलिए की जा रही है कि आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, व्यय की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के सापेक्ष कम पड़ने की सम्भावना है। इनमें से कुछ नई मदों पर व्यय करने के लिए भी हैं जिनके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान की मांग में "उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि" से स्वीकृत किये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं, जिसका उल्लेख सम्बन्धित अनुदान के अन्तर्गत टिप्पणी में किया गया है। विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत मांगों का विवरण अगले पृष्ठों पर अनुसूची में दिया गया है।

3. प्रस्तावित अनुपूरक मांग ₹ 1220992.97 लाख हैं, जिसमें राजस्व लेखा ₹ 422794.35 लाख तथा पूंजी लेखा ₹ 798198.62 लाख है।

4. उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा-6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण पत्र भी इन मांगों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्रावण 10, शक संवत्, 1946
तदनुसार
30 जुलाई, 2024

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004
की धारा-6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा-6(5) में निम्नलिखित प्रावधान है -

6(5) जब कभी एक या उससे अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिये व्यय की तत्सम कमी और / या राजस्व के सम्वर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी ।

प्रस्तुत अनुपूरक माँगों का कुल आकार ₹ 1220992.97 लाख है, जिसमें केन्द्रीय योजनाओं हेतु प्राप्त होने वाले केन्द्रांश की धनराशि ₹ 83.16 लाख तथा समायोजन की धनराशि ₹ 0.00 लाख को घटाने के उपरान्त समेकित निधि से होने वाले शुद्ध व्यय भार की धनराशि ₹ 1220909.81 लाख है । इस राशि का वित्त पोषण कर एवं करेतर राजस्व में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके तथा अनुत्पादक व्यय में कमी करके किया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान /क्रम संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
001	आबकारी विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	5000.00	...	1
007	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	औद्योगिक विकास मंत्री	राजस्व	144235.33	...	2-5
			पूँजी	612395.39	...	
009	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा मंत्री	राजस्व	149580.00	...	6-7
			पूँजी	50420.00	...	
014	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	पंचायती राज मंत्री				8
			पूँजी	10000.00	...	
026	गृह विभाग (पुलिस)	मुख्य मंत्री	राजस्व	187.50	...	9-10
			पूँजी	1879.00	...	
029	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	मुख्य मंत्री	राजस्व		50.00	11
030	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	मुख्य मंत्री	राजस्व	135.00	...	12
037	नगर विकास विभाग	नगर विकास मंत्री	राजस्व	65000.00	...	13-14
042	न्याय विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	4954.80	...	15-16
043	परिवहन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	564.00	...	17-18
			पूँजी	100000.00	...	
044	पर्यटन विभाग	पर्यटन मंत्री	राजस्व	1000.00	...	19-20
			पूँजी	5000.00	...	
050	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	मुख्य मंत्री	राजस्व	2500.00	...	21
052	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	मुख्य मंत्री	राजस्व	784.25	...	22-23
			पूँजी	212.38	...	

वित्तीय वर्ष 2024-2025 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान /क्रम संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
053	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री	राजस्व	18.69	...	24
057	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	मुख्य मंत्री				25
			पूँजी	1.00	...	
058	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	मुख्य मंत्री				26-27
			पूँजी	4.00	...	
063	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	वित्त मंत्री	राजस्व	109.50	...	28-29
			पूँजी	8.50	...	
065	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	वित्त मंत्री				30
			पूँजी	55.00	...	
067	विधान परिषद् सचिवालय	संसदीय कार्य मंत्री	राजस्व	20.00	...	31-32
			पूँजी	889.56	...	
068	विधान सभा सचिवालय	संसदीय कार्य मंत्री				33-34
			पूँजी	768.86	...	
069	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	30000.00	...	35-36
072	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	मुख्य मंत्री	राजस्व	9562.60	...	37-38
076	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री	राजस्व	389.03	...	39-40
			पूँजी	5314.85	...	
077	श्रम विभाग (सेवायोजन)	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री	राजस्व	5183.19	...	41-42
079	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	मुख्य मंत्री	राजस्व	1611.96	...	43

वित्तीय वर्ष 2024-2025 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान /क्रम संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या
			मतदेय	भारित	
1	2	3	4	5	6
081	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	मुख्य मंत्री			44-45
			पूँजी	281.16	...
083	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	मुख्य मंत्री			46
			पूँजी	1.00	...
084	सामान्य प्रशासन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	786.00	...
086	सूचना विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	600.00	...
092	संस्कृति विभाग	संस्कृति मंत्री	राजस्व	522.50	...
			पूँजी	6967.92	...
094	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री			52-53
			पूँजी	...	4000.00
			योग : राजस्व	422744.35	50.00
			पूँजी	794198.62	4000.00
			योग :	1216942.97	4050.00
			कुल योग :	1220992.97	

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
राजस्व लेखा		
क - सामान्य सेवायें		
(क) राज्य के अंग		
2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	67	20.00
योग : 2011		20.00
2012 - राष्ट्रपति ,उप राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	29	50.00
योग : 2012		50.00
2014 - न्याय प्रशासन	42	4954.80
योग : 2014		4954.80
योग : (क)		5024.80
(ख) राज कोषीय सेवायें		
(II). सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण		
2029 - भू-राजस्व	52	784.25
योग : 2029		784.25
(III). वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण		
2039 - राज्य उत्पाद शुल्क	01	5000.00
योग : 2039		5000.00
(III). वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण		
2041 - वाहन कर	43	64.00
योग : 2041		64.00
योग : (ख)		5848.25
(घ) प्रशासनिक सेवायें		
2053 - जिला प्रशासन	50	2500.00
योग : 2053		2500.00
2054 - खजाना तथा लेखा प्रशासन	63	109.50
योग : 2054		109.50
2055 - पुलिस	26	187.50
योग : 2055		187.50

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें	30	135.00
	53	18.69
योग : 2070		153.69
योग : (घ)		2950.69
योग : क		13823.74
ख - सामाजिक सेवायें		
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति		
2202 - सामान्य शिक्षा	72	9521.60
योग : 2202		9521.60
2204 - खेल कूद तथा युवा सेवायें	72	41.00
योग : 2204		41.00
2205 - कला एवं संस्कृति	92	522.50
योग : 2205		522.50
योग : (क)		10085.10
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास		
2217 - शहरी विकास	37	65000.00
योग : 2217		65000.00
योग : (ग)		65000.00
(घ) सूचना तथा प्रसारण		
2220 - सूचना तथा प्रचार	86	600.00
योग : 2220		600.00
योग : (घ)		600.00
(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण		
2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास	69	30000.00
	76	389.03
	77	5183.19
योग : 2230		35572.22
योग : (च)		35572.22
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण		
2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	79	1611.96

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	योग : 2235	1611.96
	योग : (छ)	1611.96
(ज) अन्य		
2250 - अन्य सामाजिक सेवायें	84	786.00
	योग : 2250	786.00
	योग : (ज)	786.00
	योग : ख	113655.28
ग - आर्थिक सेवायें		
(ङ) उर्जा		
2801 - बिजली	09	149580.00
	योग : 2801	149580.00
	योग : (ङ)	149580.00
(च) उद्योग तथा खनिज		
2852 - उद्योग	07	26735.33
	योग : 2852	26735.33
2885 - उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	07	117500.00
	योग : 2885	117500.00
	योग : (च)	144235.33
(छ) परिवहन		
3055 - सड़क परिवहन	43	500.00
	योग : 3055	500.00
	योग : (छ)	500.00
(ज) सामान्य आर्थिक सेवायें		
3452 - पर्यटन	44	1000.00
	योग : 3452	1000.00
	योग : (ज)	1000.00
	योग : ग -	295315.33
	राजस्व लेखा	422794.35
पूँजीगत लेखा		
क - सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा		

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	26	1879.00
योग : 4055		1879.00
4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	52	212.38
	67	889.56
	68	443.86
योग : 4059		1545.80
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	14	10000.00
	63	8.50
	65	55.00
	68	325.00
योग : 4070		10388.50
योग : क -		13813.30
ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा		
4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	76	5314.85
	92	6967.92
योग : 4202		12282.77
योग : (क)		12282.77
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा		
4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	81	281.16
योग : 4225		281.16
योग : (ङ)		281.16
योग : ख -		12563.93
ग - आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे		
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा		
4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	94	4000.00
योग : 4700		4000.00
योग : (घ)		4000.00
(ड) उर्जा का पूंजीगत लेखा		
4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	09	50420.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	योग : 4801	50420.00
	योग : (ङ)	50420.00
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा		
4859 - दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	07	1196.39
	योग : 4859	1196.39
	योग : (च)	1196.39
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा		
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	07	607199.00
	57	1.00
	58	4.00
	83	1.00
	योग : 5054	607205.00
5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	43	100000.00
	योग : 5055	100000.00
	योग : (छ)	707205.00
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		
5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	44	5000.00
	योग : 5452	5000.00
	योग : (ज)	5000.00
	योग : ग -	767821.39
	पूंजीगत लेखा	794198.62
च - कर्ज तथा उधार		
6885 - उद्योग तथा खनिज के लिये अन्य कर्ज	07	4000.00
	योग : 6885	4000.00
	च - कर्ज तथा उधार	4000.00
	योग : समेकत निधि	1220992.97

अनुदान संख्या 001

आबकारी विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-6 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	49455.11	250.00	49705.11
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	5000.00	...	5000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	54455.11	250.00	54705.11
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2039 - राज्य उत्पाद शुल्क

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - अधीक्षण

09 - विद्युत देय	15.00
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4335.00
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	125.00

योग : 03 4475.00

05 - भट्टियों

15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	250.00
42 - अन्य व्यय	275.00

योग : 05 525.00

योग : 001 5000.00

योग : 2039 5000.00

योग : राजस्व लेखा 5000.00

योग : अनुपूरक 5000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. आबकारी विभाग के अन्तर्गत विभिन्न मदों में रुपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 007

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-16 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	993415.13	1196144.26	2189559.39
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	144235.33	612395.39	756630.72
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1137650.46	1808539.65	2946190.11
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2852 - उद्योग

07 - दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग

202 - इलेक्ट्रानिक्स

03 - शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

99.27

योग : 03

99.27

04 - स्माल सेल तथा भूमि की स्थापना के लिए साफ्टवेयर प्रणाली का विकास

42 - अन्य व्यय

16.50

योग : 04

16.50

11 - विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में 01 WI-FI कनेक्शन एवं 05 FTTH कनेक्शन हेतु परिचालन व्ययों (OPEX)

की व्यवस्था

42 - अन्य व्यय

4633.93

योग : 11

4633.93

20 - उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

478.20

योग : 20

478.20

योग : 202

5227.90

योग : 07

5227.90

		धनराशि
80 - सामान्य		
800 - अन्य व्यय		
09 - उ.प्र. सहकारी कताई मिल्स संघ लि. / उ.प्र. स्टेट यार्न कं.लि./उ.प्र. स्टेट स्पिनिंग कं.लि. / उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम लि. की मिलों के शासकीय देयताओं के अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया धनराशि का भुगतान		
42 - अन्य व्यय		19319.00
योग : 09		19319.00
16 - उ.प्र. डाटा सेन्टर नीति		
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		
		188.43
योग : 16		188.43
33 - एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015		
42 - अन्य व्यय		2000.00
योग : 33		2000.00
योग : 800		21507.43
योग : 80		21507.43
योग : 2852		26735.33
2885 - उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय		
60 - अन्य		
800 - अन्य व्यय		
19 - अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन		
27 - सब्सिडी		90000.00
योग : 19		90000.00
20 - नई औद्योगिक नीति		
42 - अन्य व्यय		27500.00
योग : 20		27500.00
योग : 800		117500.00
योग : 60		117500.00
योग : 2885		117500.00
योग : राजस्व लेखा		144235.33

पूँजी लेखा-----

4859 - दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

02 - इलेक्ट्रॉनिक

	धनराशि
800 - अन्य निवेश	
16 - शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था	
42 - अन्य व्यय	1196.39
योग : 16	1196.39
योग : 800	1196.39
योग : 02	1196.39
योग : 4859	1196.39
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
03 - राज्य राजमार्ग	
337 - सड़क निर्माण कार्य	
14 - गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु वी.जी.एफ. धनराशि	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	566400.00
योग : 14	566400.00
17 - गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में जी.एस.टी. के अतिरिक्त प्रतिशत व्ययभार के दृष्टिगत विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	40799.00
योग : 17	40799.00
योग : 337	607199.00
योग : 03	607199.00
योग : 5054	607199.00
6885 - उद्योग तथा खनिज के लिये अन्य कर्ज	
01 - औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज	
190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	
07 - औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2012	
30 - निवेश/ऋण	4000.00
योग : 07	4000.00
योग : 190	4000.00
योग : 01	4000.00
योग : 6885	4000.00
योग : पूंजी लेखा	612395.39

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. शासकीय कार्यालयों के आधुनिकीकरण हेतु रुपये 9927000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. स्माल सेल तथा भूमि की स्थापना के लिए साफ्टवेयर प्रणाली के विकास हेतु रुपये 1650000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में 01 wi-fi कनेक्शन एवं 05 FTTH कनेक्शन हेतु परिचालन व्ययों (OPEX) की व्यवस्था हेतु रुपये 463393000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग नीति के कार्यान्वयन हेतु रुपये 47820000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लि./उ.प्र. स्टेट यार्न क.लि./उ.प्र. स्टेट स्पिनिंग कं.लि./ उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लि. की मिलों के शासकीय देनदारियों के अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया धनराशि के भुगतान हेतु रुपये 1931900000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति हेतु रुपये 18843000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. एक मुश्त पुनर्वासन नीति-2015 के लिये रुपये 200000000 की आवश्यकता ।
8. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के कार्यान्वयन हेतु रुपये 9000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. नई औद्योगिक नीति हेतु रुपये 2750000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
10. शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था हेतु रुपये 119639000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
11. गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वी0 जी0 एफ 0 धनराशि हेतु रुपये 56640000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
12. गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में जी0 एस 0 टी0 के अतिरिक्त प्रतिशत व्ययभार के दृष्टिगत विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 4079900000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
13. औद्योगिक निदेश प्रोत्साहन योजना-2012 हेतु रुपये 400000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 009

ऊर्जा विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-14 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	2985420.09	1976910.37	4962330.46
	भारित	251859.23	440583.96	692443.19
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	149580.00	50420.00	200000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	3135000.09	2027330.37	5162330.46
	भारित	251859.23	440583.96	692443.19

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2801 - बिजली

05 - संचरण एवं वितरण

800 - अन्य व्यय

04 - उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. को क्षतिपूर्ति अनुदान

27 - सब्सिडी

51188.00

योग : 04

51188.00

09 - रिवैम्पड योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

98392.00

योग : 09

98392.00

योग : 800

149580.00

योग : 05

149580.00

योग : 2801

149580.00

योग : राजस्व लेखा

149580.00

पूँजी लेखा-----

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

02 - ताप विद्युत शक्ति उत्पादन

190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

14 - उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

1434 - DRIP Scheme (Dam Rehabilitation & Improvement Project) के अन्तर्गत रिहन्द एवं ओबरा बांधों के रिहैबिलिटेशन कार्यों हेतु अंशपूँजी

30 - निवेश/ऋण 420.00

योग : 1434 420.00

योग : 14 420.00

योग : 190 420.00

योग : 02 420.00

05 - संचरण तथा वितरण

190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

03 - रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम

0301 - हानियों में कमी हेतु कराये जाने वाले कार्यों के लिये यू.पी.पी.सी.एल.को अंशपूँजी (के-60/रा0-40 के0)

30 - निवेश/ऋण 50000.00

योग : 0301 50000.00

योग : 03 50000.00

योग : 190 50000.00

योग : 05 50000.00

योग : 4801 50420.00

योग : पूँजी लेखा 50420.00

योग : अनुपूरक 200000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान हेतु रुपये 5118800000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. रिवेम्पड योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग हेतु रुपये 9839200000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. ड्रिप योजनान्तर्गत रिहन्द एवं ओबरा बांधों के रिहैबिलिटेशन कार्यों के लिये 42000000 की आवश्यकता ।
4. रिवेम्पड योजनान्तर्गत हानियों में कमी हेतु कराये जाने वाले कार्यों के लिये राज्ययांश हेतु रुपये 5000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 014

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 1-16 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1680415.36	50135.00	1730550.36
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	10000.00	10000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1680415.36	60135.00	1740550.36
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

06 - ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य

10000.00

योग : 06

10000.00

योग : 800

10000.00

योग : 4070

10000.00

योग : पूँजी लेखा

10000.00

योग : अनुपूरक

10000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम निर्माण योजना हेतु रूपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 026

गृह विभाग (पुलिस)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-53 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	3429507.03	525069.91	3954576.94
	भारित	500.00	...	500.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	187.50	1879.00	2066.50
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	3429694.53	526948.91	3956643.44
	भारित	500.00	...	500.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2055 - पुलिस

109 - जिला पुलिस

05 - मोटर परिवहन अनुभाग- मुख्य

15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद

187.50

योग : 05

187.50

योग : 109

187.50

योग : 2055

187.50

योग : राजस्व लेखा

187.50

पूँजी लेखा-----

4055 - पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय

207 - राज्य पुलिस

17 - राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी के प्रयोगार्थ वाहनों का क्रय

14 - मोटर गाड़ियों का क्रय

1.00

योग : 17

1.00

18 - पुलिस विभाग के प्रयोगार्थ वाहनों का क्रय

14 - मोटर गाड़ियों का क्रय

1876.00

योग : 18

1876.00

22 - आतंकवाद निरोधक दस्ता

	धनराशि
14 - मोटर गाड़ियों का क्रय	1.00
योग : 22	1.00
योग : 207	1878.00
800 - अन्य व्यय	
06 - सुरक्षा व्यवस्था	
14 - मोटर गाड़ियों का क्रय	1.00
योग : 06	1.00
योग : 800	1.00
योग : 4055	1879.00
योग : पूँजी लेखा	1879.00
योग : अनुपूरक	2066.50

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. भारतीय न्याय संहिता 2023 के क्रियान्वयन हेतु क्रय किये जाने वाले वाहनों में अनुरक्षण एवं पेट्रोल के लिये रुपये 18750000 की आवश्यकता ।
2. 03 महिला पी.एस.सी वाहिनियों हेतु 189 नये वाहन क्रय किये जाने हेतु रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी | ।
3. भ्रष्टाचार निवारण संगठन हेतु 93 नये वाहनों के क्रय हेतु रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी | ।
4. भारतीय न्याय संहिता 2023 के क्रियान्वयन हेतु 75 जनपदों में फौरेसिक वाहनों के क्रय हेतु रुपये 187500000 की आवश्यकता ।
5. ए.टी.एस हेतु 52 नये वाहनों के क्रय हेतु रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी | ।
6. अतिविशिष्ट महानुभावों के सुरक्षार्थ 76 नये महिन्द्रा स्कॉर्पियो क्रय किये जाने हेतु रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी | ।

क्रम संख्या 029

गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-11 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय
	भारित	2888.97	50.01	2938.98
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय
	भारित	50.00	...	50.00
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय
	भारित	2938.97	50.01	2988.98

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2012 - राष्ट्रपति ,उप राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

03 - राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

102 - विवेकाधीन अनुदान

03 - राज्यपाल का विवेकाधीन अनुदान-भारित-

42 - अन्य व्यय

	मतदेय	--
	भारित	50.00
योग : 03	मतदेय	--
	भारित	50.00
योग : 102	मतदेय	--
	भारित	50.00
योग : 03	मतदेय	--
	भारित	50.00
योग : 2012	मतदेय	--
	भारित	50.00
योग : राजस्व लेखा	मतदेय	--
	भारित	50.00
योग : अनुपूरक	मतदेय	--
	भारित	50.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. श्री राज्यपाल के विवेकाधीन अनुदान में वृद्धि हेतु भारत पक्ष में रुपये 5000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 030

गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य
व्यय)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-5 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	962.48	0.01	962.49
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	135.00	...	135.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1097.48	0.01	1097.49
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान
को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2070 - अन्य प्रशासनिक सेवार्ये

800 - अन्य व्यय

03 - राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय

01 - वेतन

135.00

योग : 03

135.00

योग : 800

135.00

योग : 2070

135.00

योग : राजस्व लेखा

135.00

योग : अनुपूरक

135.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय के वेतनमदों में रुपये 13500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 037

नगर विकास विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-28 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	2127636.81	275100.00	2402736.81
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	65000.00	...	65000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	2192636.81	275100.00	2467736.81
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2217 - शहरी विकास

05 - अन्य शहरी विकास योजनाये

191 - नगर निगमों को सहायता

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8903 - अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्सफारमेशन के अन्तर्गत सहायता

35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 25000.00

योग : 8903 25000.00

योग : 89 25000.00

योग : 191 25000.00

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8903 - अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्सफारमेशन के अन्तर्गत सहायता

35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 35000.00

योग : 8903 35000.00

योग : 89 35000.00

योग : 192 35000.00

	धनराशि
योग : 05	60000.00

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

19 - जनपद अयोध्या, मथुरा एवं वाराणसी में पर्यटकों/श्रद्धालुओं के सुविधाओं हेतु विभिन्न व्यवस्थापन कार्य कराये जाने हेतु

35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 5000.00

योग : 19 5000.00

योग : 800 5000.00

योग : 80 5000.00

योग : 2217 65000.00

योग : राजस्व लेखा 65000.00

योग : अनुपूरक 65000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अन्तर्गत सहायता (नगर निगम) हेतु रुपये 2500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अन्तर्गत सहायता (नगर पालिका) हेतु रुपये 3500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. जनपद अयोध्या, मथुरा एवं वाराणसी में पर्यटकों/श्रद्धालुओं के सुविधाओं हेतु विभिन्न व्यवस्थापन कार्य कराये जाने हेतु रुपये 500000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 042

न्याय विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-36 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	436371.08	348230.00	784601.08
	भारित	97553.85	750.00	98303.85
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	4954.80	...	4954.80
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	441325.88	348230.00	789555.88
	भारित	97553.85	750.00	98303.85

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2014 - न्याय प्रशासन

105 - सिविल और सेशन न्यायालय

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0104 - पाक्सो एक्ट के अधीन न्यायालयों में प्रचलित आपराधिक / बलात्कार के आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण एवं प्राइमरी रेप केसेज के ट्रायल हेतु न्यायालयों का गठन (के.60/रा.40-के.)

01 - वेतन 48.60

योग : 0104 48.60

योग : 01 48.60

03 - जिला तथा सेशन न्यायाधीश

05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय 3491.30

योग : 03 3491.30

09 - पारिवारिक न्यायालय

01 - वेतन 61.20

योग : 09 61.20

15 - महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए न्यायालयों की स्थापना

06 - अन्य भत्ते 1205.00

	धनराशि
योग : 15	1205.00
18 - फास्ट ट्रैक कोर्ट	
01 - वेतन	133.60
योग : 18	133.60
23 - भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु न्यायालय	
01 - वेतन	9.60
योग : 23	9.60
24 - मा0 सांसदों एवं विधायकों के लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिये विशेष न्यायालय का गठन	
01 - वेतन	0.20
योग : 24	0.20
योग : 105	4949.50
108 - दण्ड न्यायालय	
04 - रेलवे मजिस्ट्रेटों का अधिष्ठान	
01 - वेतन	5.30
योग : 04	5.30
योग : 108	5.30
योग : 2014	4954.80
योग : राजस्व लेखा	4954.80
योग : अनुपूरक	4954.80

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप न्यायिक अधिकारियों के वेतनादि के भुगतान के लिये उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम रुपये 495480000 की प्रतिपूर्ति ।

अनुदान संख्या 043

परिवहन विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-12 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	61479.81	70681.37	132161.18
	भारित	0.01	...	0.01
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	564.00	100000.00	100564.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	62043.81	170681.37	232725.18
	भारित	0.01	...	0.01

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2041 - वाहन कर

800 - अन्य व्यय

03 - स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलिट अधिष्ठान

05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	8.00
06 - अन्य भत्ते	25.00
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	8.00
55 - मकान किराया भत्ता	20.00

योग : 03 64.00

योग : 800 64.00

योग : 2041 64.00

3055 - सड़क परिवहन

800 - अन्य व्यय

03 - मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल

05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	12.00
06 - अन्य भत्ते	44.00
08 - कार्यालय व्यय	24.00
09 - विद्युत देय	24.00

	धनराशि
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	16.00
13 - टेलीफोन पर व्यय	6.00
14 - मोटर गाड़ियों का क्रय	60.00
22 - आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	2.00
49 - चिकित्सा व्यय	14.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	298.00
योग : 03	500.00
योग : 800	500.00
योग : 3055	500.00
योग : राजस्व लेखा	564.00

पूँजी लेखा-----

5055 - सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय

190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

03 - उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूँजी विनियोजन

30 - निवेश/ऋण

	100000.00
योग : 03	100000.00
योग : 190	100000.00
योग : 5055	100000.00
योग : पूँजी लेखा	100000.00
योग : अनुपूरक	100564.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलैट अधिष्ठान हेतु रुपये 6400000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण हेतु रुपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. कुम्भ मेला 2025 के दृष्टिगत बस बेड़े में अतिरिक्त डीजल बसों की खरीद हेतु रुपये 10000000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 044

पर्यटन विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-12 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	21622.57	168007.00	189629.57
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1000.00	5000.00	6000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	22622.57	173007.00	195629.57
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

3452 - पर्यटन

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

11 - अयोध्या संरक्षण एवं विकास निधि हेतु अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

1000.00

योग : 11 1000.00

योग : 800 1000.00

योग : 80 1000.00

योग : 3452 1000.00

योग : राजस्व लेखा 1000.00

पूँजी लेखा-----

5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

104 - संवर्धन तथा प्रचार

45 - विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि का क्रय

60 - भूमि क्रय

5000.00

	धनराशि
योग : 45	5000.00
योग : 104	5000.00
योग : 80	5000.00
योग : 5452	5000.00
योग : पूँजी लेखा	5000.00
योग : अनुपूरक	6000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. अयोध्या संरक्षण एवं विकास निधि हेतु अनुदान के लिये रुपये 100000000 की आवश्यकता ।
2. विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि क्रय के लिए रुपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 050

राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-9 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	140718.49	12445.99	153164.48
	भारित	55.00	...	55.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2500.00	...	2500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	143218.49	12445.99	155664.48
	भारित	55.00	...	55.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2053 - जिला प्रशासन

093 - जिला स्थापनाएं

03 - कलेक्टरी स्थापना

15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद

2500.00

योग : 03

2500.00

योग : 093

2500.00

योग : 2053

2500.00

योग : राजस्व लेखा

2500.00

योग : अनुपूरक

2500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राजस्व न्यायिक अधिकारियों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से वाहन अनुमन्य किये जाने हेतु स्पये 250000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 052

राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-21 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	527033.88	1021.10	528054.98
	भारित	27.00	7.88	34.88
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	784.25	212.38	996.63
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	527818.13	1233.48	529051.61
	भारित	27.00	7.88	34.88

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2029 - भू-राजस्व

800 - अन्य व्यय

05 - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण

52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)

784.25

योग : 05

784.25

योग : 800

784.25

योग : 2029

784.25

योग : राजस्व लेखा

784.25

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 - अन्य भवन

051 - निर्माण

03 - जनपद मेरठ व अमरोहा के सीमा विवाद के निस्तारण के लिए सीमा स्तम्भों की स्थापना

24 - बृहत् निर्माण कार्य

212.38

योग : 03

212.38

योग : 051

212.38

योग : 60

212.38

	धनराशि
योग : 4059	212.38
योग : पूँजी लेखा	212.38
योग : अनुपूरक	996.63

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश आक्समिकता निधि से दिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 78425000 की आवश्यकता ।
2. जनपद मेरठ व अमरोहा के सीमा विवाद के निस्तारण के लिए सीमा स्तम्भों की स्थापना हेतु रुपये 21238000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 053

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-4 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	109.90	...	109.90
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	18.69	...	18.69
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	128.59	...	128.59
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें

800 - अन्य व्यय

15 - राष्ट्रीय एकीकरण विभाग की वेबपोर्टल/वेबसाइट विकसित किये जाने हेतु

42 - अन्य व्यय

18.69

योग : 15

18.69

योग : 800

18.69

योग : 2070

18.69

योग : राजस्व लेखा

18.69

योग : अनुपूरक

18.69

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राष्ट्रीय एकीकरण विभाग की वेबपोर्टल/वेबसाइट विकसित किये जाने हेतु रुपये 1869000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 057

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 6)के पृष्ठ संख्या 1-6 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	16000.00	412433.50	428433.50
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	1.00	1.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	16000.00	412434.50	428434.50
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

101 - पुल

04 - सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)

0406 - शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य)

24 - बृहत् निर्माण कार्य

1.00

योग : 0406

1.00

योग : 04

1.00

योग : 101

1.00

योग : 04

1.00

योग : 5054

1.00

योग : पूँजी लेखा

1.00

योग : अनुपूरक

1.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

- जनपद वाराणसी में गंगा नदी पर मालवीय सेतु के डाउनस्ट्रीम में प्रस्तावित नये रेल कम रोड सेतु पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु रूपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी | ।

अनुदान संख्या 058

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 6)के पृष्ठ संख्या 1-15 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	967320.29	1919398.00	2886718.29
	भारित	12.18	3000.00	3012.18
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	4.00	4.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	967320.29	1919402.00	2886722.29
	भारित	12.18	3000.00	3012.18

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

03 - राज्य राजमार्ग

337 - सड़क निर्माण कार्य

09 - औद्योगिक / लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / निर्माण कार्य (नये कार्य)

24 - बृहत् निर्माण कार्य 1.00

योग : 09 1.00

10 - औद्योगिक / लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / निर्माण कार्य (चालू कार्य)

24 - बृहत् निर्माण कार्य 1.00

योग : 10 1.00

योग : 337 2.00

योग : 03 2.00

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

337 - सड़क निर्माण कार्य

11 - धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नये कार्य)

24 - बृहत् निर्माण कार्य 1.00

योग : 11 1.00

12 - धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (चालू कार्य)

24 - बृहत् निर्माण कार्य 1.00

	धनराशि
योग : 12	1.00
योग : 337	2.00
योग : 04	2.00
योग : 5054	4.00
योग : पूँजी लेखा	4.00
योग : अनुपूरक	4.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. औद्योगिक/लाजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/निर्माण कार्य (नये कार्य) हेतु 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी | ।
2. औद्योगिक/लाजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/निर्माण कार्य (चालू कार्य) हेतु रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी | ।
3. धर्मार्थ-मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण,नव निर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नये कार्य) हेतु रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी | ।
4. धर्मार्थ-मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण,नव निर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (चालू कार्य) हेतु रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी | ।

अनुदान संख्या 063

वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-7 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	35243.60	272.00	35515.60
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	109.50	8.50	118.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	35353.10	280.50	35633.60
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2054 - खजाना तथा लेखा प्रशासन

097 - खजाना स्थापना

03 - मुख्य-

01 - वेतन	50.00
03 - मंहगाई भत्ता	25.00
04 - यात्रा व्यय	1.50
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00
06 - अन्य भत्ते	0.50
08 - कार्यालय व्यय	5.00
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.50
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00
13 - टेलीफोन पर व्यय	0.50
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.50
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.00
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	3.00
42 - अन्य व्यय	2.30
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.20
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4.50

	धनराशि
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4.00
योग : 03	109.50
योग : 097	109.50
योग : 2054	109.50
योग : राजस्व लेखा	109.50
पूँजी लेखा-----	
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	
800 - अन्य व्यय	
03 - खजाना स्थापना - मुख्य	
14 - मोटर गाड़ियों का क्रय	8.50
योग : 03	8.50
योग : 800	8.50
योग : 4070	8.50
योग : पूँजी लेखा	8.50
योग : अनुपूरक	118.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. जनपद अलीगढ़ में अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन के मण्डलीय कार्यालय की स्थापना हेतु विभिन्न मानक मर्दों में रुपये 10950000 की आवश्यकता ।
2. अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, अलीगढ़ के कार्यालय हेतु एक नए वाहन के क्रय हेतु रुपये 850000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 065

वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-18 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	42023.91	10942.04	52965.95
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	55.00	55.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	42023.91	10997.04	53020.95
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

13 - स्थानीय निधि लेखा परीक्षा

14 - मोटर गाड़ियों का क्रय

55.00

योग : 13

55.00

योग : 800

55.00

योग : 4070

55.00

योग : पूँजी लेखा

55.00

योग : अनुपूरक

55.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के 04 निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थान हेतु रुपये 5500000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 067

विधान परिषद् सचिवालय

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-8 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	8435.40	1343.64	9779.04
	भारित	120.55	...	120.55
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	20.00	889.56	909.56
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	8455.40	2233.20	10688.60
	भारित	120.55	...	120.55

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

02 - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

102 - विधान परिषद्

04 - मा. सभापति, विधान परिषद् द्वारा विवेकाधीन अनुदान

42 - अन्य व्यय

20.00

योग : 04 20.00

योग : 102 20.00

योग : 02 20.00

योग : 2011 20.00

योग : राजस्व लेखा 20.00

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

07 - विधान परिषद् में सिक्योरिटी संबंधी उपकरण-एक्सरे, बैगज स्कैनर, बोलाड पास संबंधी एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम आदि की स्थापना

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

889.56

	धनराशि
योग : 07	889.56
योग : 800	889.56
योग : 80	889.56
योग : 4059	889.56
योग : पूँजी लेखा	889.56
योग : अनुपूरक	909.56

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. माननीय सभापति विधान परिषद् के विवेकाधीन अनुदान में वृद्धि हेतु रुपये 2000000 की आवश्यकता ।
2. विधान परिषद् में सिक्योरिटी संबंधी उपकरण-एक्सरे, बैगज स्कैनर, बोलाड पास संबंधी एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम आदि की स्थापना हेतु रुपये 88956000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 068

विधान सभा सचिवालय

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-8 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	28427.04	6301.45	34728.49
	भारित	399.14	55.00	454.14
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	768.86	768.86
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	28427.04	7070.31	35497.35
	भारित	399.14	55.00	454.14

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

05 - विधान सभा परिसर में डिजिटल सी0 सी0 टी0 वी0 सर्विलांस कैमरा प्रणाली की स्थापना

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

245.00

योग : 05

245.00

14 - सदन की कार्यवाही के सजीव प्रसारण हेतु डिजिटल कान्फ्रेंस सिस्टम और विडियो वॉल्स के विस्तार संबंधी उपकरणों की स्थापना

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

198.86

योग : 14

198.86

योग : 800

443.86

योग : 80

443.86

योग : 4059

443.86

4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

06 - सदन की कार्यवाही की रिकार्डिंग एवं आर्काइविंग हेतु डिजिटल लाइब्रेरी

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

325.00

	धनराशि
योग : 06	325.00
योग : 800	325.00
योग : 4070	325.00
योग : पूँजी लेखा	768.86
योग : अनुपूरक	768.86

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. विधान सभा परिसर में डिजिटल सी0 सी0 टी0 वी0 सर्विलांस कैमरा प्रणाली की स्थापना हेतु 24500000 की आवश्यकता ।
2. विधान सभा मण्डप में स्थापित कम्यूनिकेशन सिस्टम व सहवर्ती उपकरणों के विस्तार हेतु रूपये 19886000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. विधान सभा के डाटा सेन्टर के नवीनीकरण के लिये रैक तथा कूलिंग सिस्टम की स्थापना हेतु रूपये 32500000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 069

व्यावसायिक शिक्षा विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-10 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	151745.60	66125.01	217870.61
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	30000.00	...	30000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	181745.60	66125.01	247870.61
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास

03 - प्रशिक्षण

003 - शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण

16 - प्रोजेक्ट प्रवीण

42 - अन्य व्यय

10000.00

योग : 16

10000.00

17 - कौशल विकास मिशन के संचालन हेतु प्रशिक्षण व्यय की व्यवस्था

42 - अन्य व्यय

20000.00

योग : 17

20000.00

योग : 003

30000.00

योग : 03

30000.00

योग : 2230

30000.00

योग : राजस्व लेखा

30000.00

योग : अनुपूरक

30000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट प्रवीण कार्यक्रम के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को अल्पकालीन प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु रुपये 1000000000 की आवश्यकता ।

2. कौशल विकास मिशन के संचालन हेतु रुपये 2000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 072

शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 8)के पृष्ठ संख्या 1-31 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1656589.03	107289.01	1763878.04
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	9562.60	...	9562.60
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1666151.63	107289.01	1773440.64
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2202 - सामान्य शिक्षा

02 - माध्यमिक शिक्षा

109 - राजकीय माध्यमिक विद्यालय

03 - बालक एवं बालिका

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

9521.60

योग : 03 9521.60

योग : 109 9521.60

योग : 02 9521.60

योग : 2202 9521.60

2204 - खेल कूद तथा युवा सेवायें

102 - विद्यार्थियों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम

04 - राष्ट्रीय सेना छात्र दल (एन.सी.सी.)

15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद

41.00

योग : 04 41.00

योग : 102 41.00

योग : 2204 41.00

	धनराशि
योग : राजस्व लेखा	9562.60
योग : अनुपूरक	9562.60

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश के 284 राजकीय इण्टर कॉलेजों में अटल टिकरिंग लैब हेतु रुपये 28,40,00,000/- तथा 1044 माध्यमिक विद्यालयों में आई 0 सी0 टी0 लैब की स्थापना हेतु रुपये 66,81,60,000/- अर्थात कुल रुपये 952160000 की आवश्यकता ।
2. नेशनल कैडेट कोर (एन.सी.सी.) के अधिष्ठान व्यय हेतु रुपये 4100000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 076

श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-22 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	60935.62	3602.00	64537.62
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	389.03	5314.85	5703.88
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	61324.65	8916.85	70241.50
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास

01 - श्रम

101 - औद्योगिक संबंध

04 - विवादों का निपटारा

0401 - श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्यायधिकरण

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

110.00

योग : 0401

110.00

योग : 04

110.00

योग : 101

110.00

111 - श्रमिक के लिये सामाजिक सुरक्षा

11 - अटल आवासीय विद्यालयों में अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य

29 - अनुरक्षण

279.03

योग : 11

279.03

योग : 111

279.03

योग : 01

389.03

योग : 2230

389.03

	धनराशि
योग : राजस्व लेखा	389.03
<hr/>	
पूँजी लेखा-----	
4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	
01 - सामान्य शिक्षा	
202 - माध्यमिक शिक्षा	
03 - अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना	
42 - अन्य व्यय	5314.85
योग : 03	5314.85
योग : 202	5314.85
योग : 01	5314.85
योग : 4202	5314.85
योग : पूँजी लेखा	5314.85
योग : अनुपूरक	5703.88

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों में आउट सोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु रुपये 11000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. अटल आवासीय विद्यालयों में अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यो हेतु रुपये 27903000 की आवश्यकता ।
3. अटल आवासीय विद्यालयों में अवस्थापना सामग्री हेतु रुपये 531485000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 077

श्रम विभाग (सेवायोजन)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-8 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	16289.82	103.00	16392.82
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	5183.19	...	5183.19
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	21473.01	103.00	21576.01
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास

02 - रोजगार सेवाएं

001 - निदेशन और प्रशासन

03 - रोजगार निदेशालय

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

203.19

योग : 03

203.19

08 - उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति का गठन एवं संचालन

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

4980.00

योग : 08

4980.00

योग : 001

5183.19

योग : 02

5183.19

योग : 2230

5183.19

योग : राजस्व लेखा

5183.19

योग : अनुपूरक

5183.19

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. रोजगार निदेशालय में व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु रूपये 20319000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

2. प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से “उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति” के गठन एवं संचालन हेतु

रुपये 498000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 079

समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछडा
वर्ग कल्याण)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-21 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	423777.59	16724.77	440502.36
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1611.96	...	1611.96
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	425389.55	16724.77	442114.32
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

23 - उत्तर प्रदेश जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विध्वविद्यालय, चित्रकूट

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

1611.96

योग : 23

1611.96

योग : 101

1611.96

योग : 02

1611.96

योग : 2235

1611.96

योग : राजस्व लेखा

1611.96

योग : अनुपूरक

1611.96

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विध्वविद्यालय, चित्रकूट के कार्मिकों के वेतनादि के भुगतान हेतु रुपये 161196000 की अतिरिक्त आवश्यकता

|

अनुदान संख्या 081

समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-43 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	87029.94	76796.79	163826.73
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	281.16	281.16
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	87029.94	77077.95	164107.89
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4225 - अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0103 - प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महामियान (के.100/रा.0-के.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

83.16

योग : 0103

83.16

योग : 01

83.16

06 - अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पधति विद्यालय

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

198.00

योग : 06

198.00

योग : 796

281.16

योग : 02

281.16

योग : 4225

281.16

योग : पूँजी लेखा

281.16

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान के अन्तर्गत जनपद बिजनौर में बहुउद्देशीय केन्द्रों की स्थापना हेतु रूपये 8316000 की आवश्यकता ।
2. राजकीय आश्रय पद्धति विद्यालयों में उपकरणों एवं साज-सज्जा आदि की व्यवस्था हेतु रूपये 19800000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 083

समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष

घटक योजना)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-80 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1731171.46	1634548.54	3365720.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	1.00	1.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1731171.46	1634549.54	3365721.00
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

06 - जनपद वाराणसी में गंगा नदी पर शासकीय सेतु के डाउनस्ट्रीम में प्रस्तावित नये रेल कम रोड सेतु पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण

24 - बृहत् निर्माण कार्य

1.00

योग : 06

1.00

योग : 789

1.00

योग : 04

1.00

योग : 5054

1.00

योग : पूँजी लेखा

1.00

योग : अनुपूरक

1.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

- जनपद वाराणसी में गंगा नदी पर मालवीय सेतु के डाउनस्ट्रीम में प्रस्तावित नये रेल कम रोड सेतु पहुंच मार्ग अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी | ।

अनुदान संख्या 084

सामान्य प्रशासन विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-8 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	3646.41	88400.00	92046.41
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	786.00	...	786.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	4432.41	88400.00	92832.41
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2250 - अन्य सामाजिक सेवायें

101 - धर्मार्थ प्रायोजनों के लिए दान

16 - काशी विश्वनाथ धाम परिसर में निर्मित भवनों एवं परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण कार्य

29 - अनुरक्षण

786.00

योग : 16

786.00

योग : 101

786.00

योग : 2250

786.00

योग : राजस्व लेखा

786.00

योग : अनुपूरक

786.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. काशी विश्वनाथ धाम परिसर में निर्मित भवनों एवं परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण कार्य हेतु रुपये 78600000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 086

सूचना विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-11 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	97402.57	2150.00	99552.57
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	600.00	...	600.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	98002.57	2150.00	100152.57
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2220 - सूचना तथा प्रचार

60 - अन्य

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - अधिष्ठान व्यय

22 - आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भन्ता आदि

600.00

योग : 03

600.00

योग : 001

600.00

योग : 60

600.00

योग : 2220

600.00

योग : राजस्व लेखा

600.00

योग : अनुपूरक

600.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सूचना तथा प्रचार में रुपये 60000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 092

संस्कृति विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-17 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	26604.41	25339.50	51943.91
	भारित	0.05	...	0.05
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	522.50	6967.92	7490.42
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	27126.91	32307.42	59434.33
	भारित	0.05	...	0.05

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2205 - कला एवं संस्कृति

101 - ललित कला शिक्षा

18 - भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

422.50

योग : 18

422.50

योग : 101

422.50

107 - संग्रहालय

03 - अधिष्ठान व्यय

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

100.00

योग : 03

100.00

योग : 107

100.00

योग : 2205

522.50

योग : राजस्व लेखा

522.50

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

04 - कला तथा संस्कृति

106 - संग्रहालय

16 - जनपद सुल्तानपुर में संग्रहालय के नए भवन का निर्माण

	धनराशि
24 - वृहत् निर्माण कार्य	500.00
योग : 16	500.00
17 - उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित विभिन्न स्मारकों/पुरास्थलों का संरक्षण, अनुरक्षण एवं स्थलीय विकास का कार्य व स्मारकों पर सांस्कृतिक सूचना पट्ट की स्थापना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1100.00
योग : 17	1100.00
योग : 106	1600.00
800 - अन्य व्यय	
20 - जनपद बाराबंकी में "पदम श्री" बाबू के.डी. सिंह के पैतृक आवास को संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	500.00
60 - भूमि क्रय	1434.00
योग : 20	1934.00
21 - जनपद कौशाम्बी के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने हेतु संग्रहालय का निर्माण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1734.00
योग : 21	1734.00
22 - गोरखा रेजिमेन्ट सेन्टर, गोरखपुर शहीद स्मारक एवं संग्रहालय का निर्माण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1699.92
योग : 22	1699.92
योग : 800	5367.92
योग : 04	6967.92
योग : 4202	6967.92
योग : पूँजी लेखा	6967.92
योग : अनुपूरक	7490.42

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय , लखनऊ में नियुक्त शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतनादि की व्यवस्था हेतु रुपये 42250000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय लखनऊ के नियंत्रणाधीन 14 संग्रहालयों को विश्व स्तरीय मापदण्डों के अनुरूप उच्चिकृत करने हेतु भवनों का आन्तरिक एवं वाह्य सुदृढीकरण हेतु कन्सलटेन्सी के माध्यम से आगणन तैयार कराए जाने हेतु रुपये 10000000 की आवश्यकता ।
3. जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर केनए भवन के निर्माण हेतु रुपये 50000000 की आवश्यकता ।
4. उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों/पुरास्थलो गोडवानी मंदिर पिपरई, का टीला, मथुरा, डिमरौनी की गढी, झांसी, शिव मंदिर उल्दना कला तहसील महरोनी, ललितपुर,मर्दन सिंह की बैठक,ललितपुर,शान्तीनाथ मंदिर, भरवारा, महोबा, का संरक्षण, अनुरक्षण एवं स्थलीय विकास का कार्य व स्मारकों पर सांस्कृतिक सूचना पट्ट की स्थापना हेतु रुपये 110000000 की आवश्यकता ।
5. जनपद बाराबंकी मे पद्म श्री बाबू के0 डी0 सिंह के पैतृक आवास को संग्रहालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु रुपये 193400000 की आवश्यकता ।

6. जनपद कौशाम्बी के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने हेतु संग्रहालय के निर्माण हेतु रूपये 173400000 की आवश्यकता ।
7. गोरखा रेजिमेन्ट सेन्टर, गोरखपुर शहीद स्मारक एवं संग्रहालय के निर्माण हेतु रूपये 169992000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 094

सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 10)के पृष्ठ संख्या 1-111 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	459645.21	939578.68	1399223.89
	भारित	...	500.00	500.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय
	भारित	...	4000.00	4000.00
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	459645.21	939578.68	1399223.89
	भारित	...	4500.00	4500.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

33 - सिंचाई विभाग की विभिन्न नहर/बांध परियोजनाओं के अनुबंध से अन्तर्गत देय डिक्लीटल राशियों का भुगतान

051 - निर्माण

10 - नहरे

1014 - सम्बद्ध कार्य

24 - वृहत् निर्माण कार्य

	मतदेय	--
	भारित	4000.00
योग : 1014	मतदेय	--
	भारित	4000.00
योग : 10	मतदेय	--
	भारित	4000.00
योग : 051	मतदेय	--
	भारित	4000.00
योग : 33	मतदेय	--
	भारित	4000.00
योग : 4700	मतदेय	--
	भारित	4000.00
योग : पूँजी लेखा	मतदेय	--
	भारित	4000.00
योग : अनुपूरक	मतदेय	--
	भारित	4000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सिंचाई विभाग की विभिन्न नहर/बांध परियोजनाओं के अनुबन्ध से अन्तर्ग्रस्त देय ड्रिक्रीटल राशियों का भुगतान हेतु भारत पक्ष में रूपये 400000000 की आवश्यकता ।